न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2021

1. कलावती पत्नि रघुवीर उम्र करीबन 35 वर्ष जरिये अधिकार प्रलेख (मुख्त्यारनामाआम) श्री महावीर पुत्र इन्द्रसिंह
2. रघुवीर पुत्र इन्द्रसिंह उम्र करीबन 34 वर्ष जरिये अधिकार प्रलेख (मुख्त्यारनामाआम) श्री महावीर पुत्र इन्द्रसिंह
3. महावीर पुत्र श्री इन्द्रसिंह उम्र करीबन 32 वर्ष
   सर्व जाति राजपुरोहित सर्व निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ हाल निवासी गजानन्द मंगल कार्यालय वडगांव, सिण्धे रोड़ लोहे गांव पूणे (महाराष्ट्र)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवणलाल पुत्र छोटू जाति जाट निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. बदरी पुत्र छोटू जाति जाट निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. शिवराज पुत्र छोटू जाति जाट निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. रामलाल पुत्र बिरदा जाति जाट निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. परमेश्वर पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. श्रीकृष्ण पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. कालू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. किशना पुत्र हीरा जाति बैरवा निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. राजकुमार पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत्।

दिनांकः 07/01/2022

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना [illegible] संख्या 1 की एकल खातेदारी, कब्जे काश्त की [illegible] रकबा 0.4288 हैक्टेयर, [illegible] 525/344 रकबा 0.3802 हैक्टेयर कुल किता 2 [illegible] रकबा 0.8090 हैक्टेयर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीयां संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 342 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, ख0नं0 343 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, ख0नं0 524/344 रकबा 1.2378 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.0302 हैक्टेयर भूमि ग्राम बीती पटवार क्षेत्र बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 521/340 एवं अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी भूमि ख0नं0 341 व 344 स्थित है व दक्षिण दिशा में ग्राम रारी की सीमा एवं पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 378 व 534/378 स्थित है तथा पश्चिम दिशा में चौसला जाने वाला सरकारी रास्ता ख0नं0 495/232 है। प्रार्थीगण महाराष्ट्र राज्य में निवास करते है एवं उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 3 द्वारा ग्राम में आकर कृषकिय कार्य, सार–संभाल करता आ रहे है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित ख0नं0 522/342, 525/344, 342, 343, 524/344 का सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2021 को करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। चुंकि प्रार्थीगण राजस्थान राज्य से बाहर, महाराष्ट्र राज्य में निवास करते है एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं ख0नं0 495/232 चौसला जाने वाला रास्ता है जिस पर भी अतिक्रमण हो रखा है। प्रार्थीगण की आराजी रास्ते के समीप होने से प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त रास्ता भी अतिक्रमण मुक्त हो जायेगा। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तो कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 15.06.2021 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया परन्तु प्रार्थीगण की आराजी बाबत् सही नहीं करने से एवं प्रार्थीगण की नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 10, भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया संख्या 1 की एकल खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 522/342 रकबा 0.4288 हैक्टेयर, ख0नं0 525/344 रकबा 0.3802 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि एवं प्रार्थीयां संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 342 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, ख0नं0 343 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, ख0नं0 524/344 रकबा 1.2378 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.0302 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी कराये जावे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 9 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी संख्या सं 10 कि ओर से जवाब पेश नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या 10 का जवाब अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की ... बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी ... अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित ख0नं0 522/342, 525/344, 342, 343, 524/344 का सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2021 को करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। चुंकि प्रार्थीगण राजस्थान राज्य से बाहर, महाराष्ट्र राज्य में निवास करते है एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया संख्या 1 की एकल खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 522/342 रकबा 0.4288 हैक्टेयर, ख0नं0 525/344 रकबा 0.3802 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि एवं प्रार्थीयां संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 342 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, ख0नं0 343 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, ख0नं0 524/344 रकबा 1.2378 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.0302 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी कराये जावें।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम बीती पटवार हल्का बीती स्थित प्रार्थीया संख्या 1 की एकल खातेदारी की आराजी ख0नं0 522/342 रकबा 0.4288 हैक्टेयर, ख0नं0 525/344 रकबा 0.3802 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि एवं प्रार्थीयां संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 342 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, ख0नं0 343 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, ख0नं0 524/344 रकबा 1.2378 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.0302 हैक्टेयर भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा जिसमें खसरा नम्बरान् का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम बीती पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ़ स्थित प्रार्थीया संख्या 1 की एकल खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 522/342 रकबा 0.4288 हैक्टेयर, ख0नं0 525/344 रकबा 0.3802 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि एवं प्रार्थीयां

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 342 रकबा 0.9627 हैक्टेयर, ख0नं0 343 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, ख0नं0 524/344 रकबा 1.2378 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.0302 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:15 IST
Reason: SelfAttested